

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 653/XXVI-ALCII 2019-2020

Dated 29-8-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.425 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar** for **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of _____ Villages in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **3.425 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(
Signature
(
District Collector
टिहरी गढ़वाल

71

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Mangesh Ghildiyal I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **3.425 Hectare** for the construction of **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri


District Collector Cum chairman

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Construction of Raragarh to Tola Motor Motor Road (6.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.425 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

Sangeeta Jayaraj

श्रीमती संगीता जयाड़ा
जिला समाज कल्याण सदस्य
35 थाती डागर (टिहरी गढ़वाल)
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
जिला वन अधिकारी
मुनि की रेती (डि १०)

Signature

myl
Distt. Collector
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग (3.073 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.352 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.425 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 03-01-2020 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	रजनी अल्वारा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-		उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्रीमती मनीषा टिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
4-	प्रमोद मेहता	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.425 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.425 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
कीर्तिनगर

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—.....

जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

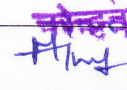
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—.....

जनपद.....

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

दिनांक 03-01-2020 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद-

1.	श्री रजा अब्बास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर
2.	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) जुनेन्दनगर वन प्रभाग
3.	श्रीमती मनीषा ठिवड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०रा०-कीर्तिनगर टोला
4.	श्रीमती - प्रियंका नेगी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	 क्षेत्र पंचायत गवाणा वि०रा०-कीर्तिनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - राड़ागाड़

तहसील

जिला टिहरी गढ़वाल

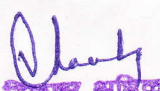
अनापत्ति प्रमाण पत्र

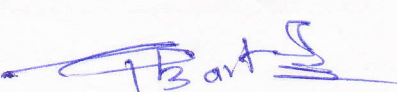
उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.073) हे० आरक्षित वन भूमि, (0.352) हे० सिविल सोयग भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.425 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राड़ागाड़ द्वारा दिनांक 28-12-2019 को सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

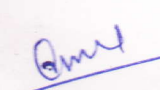
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राड़ागाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राड़ागाड़
जिला टिहरी गढ़वाल


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
वीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ९०


ग्राम प्रधान पद्मसक



दिनांक 28-12-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - राडागाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगल सिंह 5/0 कज्जना सिंह	Mangal Singh
2	कर्ण सिंह 5/0 चतर सिंह	Karn Singh
3	पुनेश सिंह 5/0 गोविन्द सिंह	Punesh Singh
4	साँगी देवी 5/0 धना सिंह	Saangi Devi
5	वीर सिंह 5/0 इन्द्र सिंह	Vir Singh
6	दुर्देश सिंह 5/0 गुलाब सिंह	Durdesha Singh
7	जखर सिंह 5/0 राम सिंह	Jakhar Singh
8	प्रमोद सिंह 5/0 जेत सिंह	Pranod Singh
9	कमल सिंह 5/0 भालवर सिंह	Kamal Singh
10	कृष्णल सिंह 5/0 चन्द्र सिंह	Krishnal Singh
11	राजा देवी 5/0 लक्ष्मण सिंह	Rajadevi
12	पुष्पा देवी 5/0 दुर्देश सिंह	Pushpa Devi
13	उर्मिला देवी 5/0 रामेन्द्र सिंह	Urmila Devi
14	विमला देवी 5/0 विजेन्द्र सिंह	Vimala Devi
15	मीना देवी 5/0 विलेन्द्र सिंह	Meena Devi
16	लक्ष्मी देवी 5/0 मंगल सिंह	Lakshmi Devi
17	सरौजनी देवी 5/0 रामवीर सिंह	Sarajani Devi
18	कोन्ता देवी 5/0 जेत सिंह	Konta Devi
19	दलवीर सिंह 5/0 राम सिंह	Dalvir Singh
20	विजय सिंह 5/0 लखचन्द सिंह	Vijay Singh

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड
विठ्ठल कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वा

सहायक कमिश्नर
अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.
बीनगर-मु. कीर्तिनगर दि. 28.12.19

हो/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - राड़ागाड़

तहसील

जिला टिहरी गढ़वाल

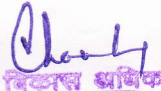
अनापत्ति प्रमाण पत्र

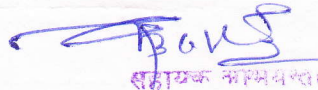
उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.073 हे० आरक्षित वन भूमि (0.352) हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.425 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

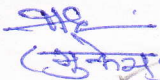
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राड़ागाड़ द्वारा दिनांक 28-12-2019 को सम्मान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राड़ागाड़
डि० ए० कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल


सहायक कमिश्नर
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
वीनगर-मु० कीर्तिनगर डि० ए०


(मुन्नेय कुमार)
ग्राम प्रधान

दिनांक 28-12-2019

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - राडागाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	डा० विरेन्द्र सिंह 5/ वचन सिंह	वीरेन्द्र सिंह
2	चर्म सिंह 5/ जीता सिंह	चर्म सिंह
3	सुरवीर सिंह 5/ मोहन सिंह	सुरवीर सिंह
4	उमैद सिंह 5/ मोहन सिंह	उमैद सिंह
5	रुपा देवी 5/ कुकेश सिंह	रुपा देवी
6	मौर सिंह 5/ कृत सिंह	मौर सिंह
7	सुशीला देवी 5/ मान सिंह	सुशीला देवी
8	मनीषा देवी 5/ नरेन्द्र सिंह	मनीषा देवी
9	सौम्य देवी 5/ सुरवीर सिंह	सौम्य देवी
10	सौम्य देवी 5/ उमैद सिंह	सौम्य देवी
11	बुद्ध देवी 5/ अवलार सिंह	बुद्ध देवी
12	आलम सिंह 5/ हीरा सिंह	आलम सिंह
13	रंजा देवी 5/ सुरवीर सिंह	रंजा देवी
14	जौन सिंह 5/ गोकुल सिंह	जौन सिंह
15	वचन सिंह 5/ तुलसी सिंह	वचन सिंह
16	सरोजनी देवी 5/ प्रेम सिंह	सरोजनी देवी
17	संगीता देवी 5/ प्रकाश सिंह	संगीता देवी
18	विजय पाल सिंह 5/ मालवर सिंह	विजय पाल सिंह
19	सुरवीर सिंह 5/ शेर सिंह	सुरवीर सिंह
20	केशव सिंह 5/ भूपाल सिंह	केशव सिंह
21	प्रकाश देवी 5/ त्रिलोक सिंह	प्रकाश देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड
पि० ए० कीर्तिनगर
जनपद टिठरी नरवाण

सहायक अभियंता
बस्पाई एण्ड सो० लि० लि०
वीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ५०

सह
(संयोजक/प्रचार)
ह०/- उमेश
ग्राम प्रधान